संदर्भ : को.म.स. / हि.म.स. / गे.दी.क्षेत्र / सी.ई.डब्लू.एस. गेवरा / 2026 - 01 दिनांक : 25/04/2026

प्रति,

माननीय पंजीयक अधिकारी
व्यवसयीक संघ, इन्द्रावति भवन,
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)

संदर्भ– Ref.No. KMS/HMS/GS/JBP/34/2026 Date : 08/04/2026
विषय– कोयला मजदूर सभा के संविधान का उलंघन करते हुये प्रभारी नियुक्ति किये जाने पर रोक लगाने बावत्।

महोदय,

उक्त विषय में कोयला मजदूर सभा पंजीयन क्र. 3040 समयब्धता क्र. 45 (हिन्द मजदूर सभा) के पदाधिकारी एवं सदस्यगण आपको अवगत कराना चाहते है कि कोयला मजदूर सभा के महामंत्री श्री नाथू लाल पाण्डेय जी द्वारा उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से एस.ई.सी.एल. के समस्त क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति किया गया है। जो कोयला मजदूर सभा के संविधान में प्रभारी पदाधिकारियों का कोई उल्लेख नही है। इस प्रकार उनके द्वारा संविधान का उलंघन किया गया है। इनके द्वारा कोयला मजदूर सभा शाखा एवं क्षेत्रीय समितियों का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को स्वंय प्रयोग में लाना चाहते हैं।

महोदय प्रभारी नियुक्त करने का अधिकार प्रभारी के अधिकार और शक्तियां जैसा कोई प्रस्ताव किसी की स्तर पर न प्रस्तुत किया गया है और न ही अनुमोदित किया गया है। ऐसा हमें जानकारी है। प्रभारी नियुक्त करने से पूर्व किसी भी क्षेत्रीय एव शाखा समिति से कोई राय नही ली गयी।

अतः यह एक तरफा और अधिनायकवादी प्रवृत्ति से जारी आदेश / प्रभारी नियुक्ति आदेश कोयला मजदूर सभा के महामंत्री श्री नाथू लाल पाण्डेय द्वारा संविधान के विपरीत है और श्रम संगठन के परस्पर सहमति सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आपसे हम समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण आग्रह करते है। कि अबिलम्ब उक्त पत्र को निरस्त करने की कृपा करें। ताकि संगठन के कार्य सुचारू रूप से निष्पादित हो सकें।

धन्यवाद

संलग्नः–
1. कोयला मजदूर सभा के संविधान की छायाप्रति।
2. प्रभारी बनाये गये पत्र की छायाप्रति।

आवेदकगण
गेवरा–दीपका क्षेत्र एवं
सीईडब्ल्यूएस के समस्त
पदाधिकारी एवं सदस्य

प्रतिलिपि :–
1. माननीय श्रममंत्री,छत्तीसगढ़ शासन,रायपुर (छ.ग.)
2. माननीय रेशम लाल यादव जी, अध्यक्ष, HKMF (HMS)
3. माननीय हरभजन सिंह सिद्धू जी, महामंत्री, HKMF (HMS)

क्रमश.....................2

कोयला मजदूर सभा (हिन्द मजदूर सभा)

गेवरा – दीपका क्षेत्र एवं सी.ई.डब्लू.एस. गेवरा

Regd. No. 3040 Affiliated to HMS No.45

विषय– कोयला मजदूर सभा के संविधान का उलंघन करते हुये प्रभारी नियुक्ति किये जाने पर रोक लगाने बावत्।

क्र.	नाम	संगठन पद	एरिया / यूनिट	हस्ताक्षर
1.	S.D. MANIKPURI	Gen. Sec.	Gevra	[signature]
2.	Tarun Raha	Gen. Secty	Dipka	[signature]
3.	Amrit lal chandra	JCC member	Dipka	[signature]
4.	राजकुमार शर्मा	बर्किंग प्रेसीडेन्ट	Dipka	राजकुमार
5.	राकेश बेंजामिन	अध्यक्ष	CEWS-Gevra	[signature]
6.	बी. एल. ठाकुर	सचिव	CEWS-Gevra	[signature]
7.	अनुजराम	अध्यक्ष	गेवरा प्रोजेक्ट	अनुजराम
8.	S. C. Manikpuri	Secy.	Gevra proj.	[signature] 24/04/26
9.	संदीप कु. त्रिपाठी	वरि. उपाध्यक्ष	गेवरा परि.	[signature]
10	प्रेम लाल	वरि. सचिव	गेवरा परि.	[signature]
11	Manish Kr. Rathore	Overman/WI	Gevra project	Rathore
12.	Manish Kr. Singh	Sr. Overman/WI	Gevra project	Manish
13	Mahendra ku. Singh	शॉर्ट सदस्य	CEWS GVR	[signature]
14	Martand Singh	Sr. WI	GVR	[signature]
15	Ravindra Singh	WI elect.	Gevra	[signature]
16	Sushil Kr. Shrivas	Area Safety Member	Gevra	[signature]

क्रमश.....................3

कोयला मजदूर सभा (हिन्द मजदूर सभा)

गेवरा – दीपका क्षेत्र एवं सी.ई.डब्लू.एस. गेवरा

Regd. No. 3040

Affiliated to HMS No.45

विषय– कोयला मजदूर सभा के संविधान का उलंघन करते हुये प्रभारी नियुक्ति किये जाने पर रोक लगाने बावत्।

क्र.	नाम	संगठन पद	एरिया/यूनिट	हस्ताक्षर
17,	सुनील कुमार डडसेना	कार्यवाहक अध्यक्ष	गेवरा प्रोजेक्ट	[signature]
18.	Mukesh kr. yadav	WI - Mining	Gevra project	[signature]
19.	Rabi Behra	WI - Mining	Gevra project	[signature]
20	Dharmendra kumar Patel	sadasya	Dipka project	[signature]
21	लक्ष्मी नारायण	सदस्य	गेवरा परि.	[signature]
22	विजय कुमार राठौर	सदस्य	गेवरा परि.	[signature]
23	रविन्द्र कुमार स्वर्णकार	सचिव	गेवरा एरिया (यूनिट)	[signature]
24	कु. भावना महतो	अध्यक्षा	गेवरा एरिया (यूनिट)	[signature]
25	Lakhan Lal yadav	WI - MECh.	Gevra - project	[signature]
26	Ramnarayan Rawade	Area Safety (Member)	Dipka	[signature]
27.	FAIYAZ. ANSARI	Area Safety Member	Dipka Area	[signature]
28	सुचित धर तिवारी	सदस्य कल्याण समिति	दीपका क्षेत्र	[signature]
29	जीत सिंह	सदस्य कल्याण समिति	दीपका क्षेत्र	[signature]
30	LALIT RATHOR	Area Safety Member	Dipka	[signature]
31	RAKESH TIWARI	सदस्य	Dipka	[signature]
32	संतोष कुमार भोई	पीट सेफ्टी सदस्य	दिपिका	[signature]
33	अजहर अली	सदस्य	गेवरा	[signature]
34	G. Udayan.	president	Dipka project	[signature]
34	MaKSud	सदस्य कल्याण समिति	Gevra Area	[signature]
35	रमेश कुमार मिश्रा	सदस्य	दिपका	[signature]
36.	Budhdeo	सदस्य	दिपका	[signature]

विषय– कोयला मजदूर सभा के संविधान का उलंघन करते हुये प्रभारी नियुक्ति किये जाने पर रोक लगाने बावत्।

क्र.	नाम	संगठन पद	एरिया / यूनिट	हस्ताक्षर
37	Gyan singh	सदस्य	दीपका	ज्ञान सिंह
38	Anil Rathore	सदस्य	कोरबा	Anil
39	Sonu Ram	सदस्य	गेवरा	Sachin
40	मोहम्मद अजहर	सदस्य	गेवरा	Azhar
41.	कमलेश चौधरी	सदस्य	गेवरा	Kamlesh
42	Gyan Jaiswal	पिट सेफ्टी मेम्बर	दीपका यूनिट	[illegible]
43	Pawan Ku. Jaiswal	उपाध्यक्ष	दीपका यूनिट	Pjaiswal
44-	Rajiv Ranjan Singh	सदस्य	दीपका क्षेत्र	[illegible]
45	Shailendra Khosla	सदस्य	दीपका	Sheo
46	S.P. Tanti	क्षेत्रीय उपाध्यक्ष	गेवरा क्षेत्र	Tanti
47	अरविन्द कुमार सिंह	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	गेवरा प्रोजेक्ट	A Singh
48	Bhaskar Chatterjee	Vice Secretary	Gevra Area	Bhaskar
49	Dinesh Kumar Pillay	उपाध्यक्ष	E/M	[illegible]
~~50~~	~~[illegible]~~			
50	Mah. Wajid	सदस्य	GEVRA	Wajid
51	A.L. chandran	JCC	Dipka	[illegible]
52	Tarun Raha	G. Secty	Dipka	
53.	S.D. Manikpuri	Gen. Sec.	Gevra	[illegible]
54.	MD. Aslam	-member	DipKa	[illegible]
55	Om prakash	member	Gerra	[illegible]
56	Vinod Patel	member	Gevra	Vinod
57	MD RAZIK KHAN	Sangathan Sachiv	Gevra	Razik

(SL.No 51, 52, 53 bracketed: 1, 2, 3)

कोयला मजदूर सभा (हिन्द मजदूर सभा)

गेवरा – दीपका क्षेत्र एवं सी.ई.डब्लू.एस. गेवरा

Regd. No. 3040

Affiliated to HMS No.45

विषय– कोयला मजदूर सभा के संविधान का उलंघन करते हुये प्रभारी नियुक्ति किये जाने पर रोक लगाने बावत्।

क्र.	नाम	संगठन पद	एरिया/यूनिट	हस्ताक्षर
58.	U.S. Narmada	Vice President	Gevra Unit	US Narmada
59	SHEKHAR KUMAR	Executive Member	Gevra Unit	[illegible]
60	Ravi Kant Rathore	Executive Member	Gevra Unit	Ravi
61.	Jayarlal Kewat	Centre Member	Gevra Pro.	[illegible]
62.	अशोक कुमार	सदस्य	गेवरा प्रो०	अशोक कुमार
63.	Raj Kumar	Office secretary	Gevra Project	R.K. Patel
64	Santosh Kum.	कार्यालय सचिव	Gevra. Project	[illegible]
65	Nab. Raj Pa.	उपाध्यक्ष	Gevran Project	Naju
66.	Umesh Ku. Soni	कार्यवाहक अध्यक्ष	Gevra Project	[illegible]
67)	Arun Ku. Kewat	सदस्य	Gevra Project	[illegible]
68)	V. Jayan Nair	सदस्य	Gevra project	Jayan Nr
68	कांतिलाल	सदस्य		कांतिलाल
69	कृष्णा कुमार	सदस्य	Gevra Project	कृष्णा कुमार
70	तालेश्वर पाल	सदस्य	Gevra Project	तालेश्वर
71	नगीना चौहान	सदस्य	Gevra Project	नगीना चौहान
72	पंकज मलिक	सदस्य	Gevra Project	पंकज मलिक

कोयला मजदूर सभा (एच. एम. एस)

KOYLA MAZDOOR SABHA (H.M.S.)

Reg. No. : 3040, Affiliated to HMS No: 45

Nathulal Pandey
General Secretary
Member of JBCCI,
STEERING COMMITTEE (SECL)

Registered Office:
South Jhagrakhand Colliery,
Dist: M.C.B. (C.G).
Jabalpur Office:
1864, Wright Town, Jabalpur (M.P)
Mobile- 9425155619, 7898288058
E-mail: nathulalpandey@gmail.com

Ref. No: KMS/HMS/GS/JBP/34/2026 **Date: 08-04-2026**

कार्यालय आदेश

कोयला मजदूर सभा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जाता है कि निम्नानुसार पदाधिकारियों को प्रभारी नामित किया जाता है : -

क्रमांक	नाम	मोबाइल नम्बर	कार्य क्षेत्र
1.	श्री केदार नाथ अग्रवाल	9770100007	गेवरा, दीपका, कुसमुण्डा, कोरबा, CEWS गेवरा एवं CWS कोरबा
2.	श्री योगेंद्र मिश्रा	8839394993	चिरमिरी, भटगॉव, बैकुण्ठपुर, विश्रामपुर
3.	श्री अक्षय तिवारी	9669061104	जोहिला, सोहागपुर, जमुना कोतमा, हसदेव
4.	श्री अरुण कुमार झा	7999583900	रायगढ़

उपरोक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संगठन को मजबूत करने, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा कोयला मजदूर सभा की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में प्रत्येक क्षेत्रीय समितियों / शाखा समितियों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे। इस संबंध में क्षेत्रीय व यूनिट स्तर पर बैठक आहूत करने और उसका संचालन करने में अधिकृत होंगे। यदि संगठन के हित में वे कोई सुझाव देते हैं, तो तथ्यों सहित केंद्रीय मुख्यालय को सूचित करें, जिस पर विचार किया जायेगा।

कोयला मजदूर सभा के क्षेत्रीय एवं इकाई समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यक रूप से उक्त प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित करें, साथ ही बैठकों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि संगठन को अधिक सुदृढ़ एवं सक्रिय बनाने में प्रभावी सहयोग मिल सके।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(नाथूलाल पाण्डेय)
महामंत्री

प्रतिलिपि:

1. संबंधित प्रभारी।
2. समस्त क्षेत्रीय अध्यक्ष / क्षेत्रीय महामंत्री।
3. अध्यक्ष, कोयला मज़दूर सभा।

(14)

रजिस्ट्रार व्यवसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
व्यवसायिक संघ रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ शासन

कोयला मजदूर सभा का संविधान

(1) इस संघ का नाम : - कोयला मजदूर सभा, दक्षिण झगराखण्ड कालरी होगा।

(2) इस संघ का पंजीकृत मुख्यालय : - साउथ झगराखण्ड कालरी होगा और उसका पता निम्नानुसार होगा : -

कार्यालय	-	कोयला मजदूर सभा
पो.ऑ.	-	साउथ झगराखण्ड कालरी
रेल्वे स्टेशन	-	मनेंद्रगढ़
जिला	-	कोरिया–अब मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)
मध्य प्रदेश मुख्यालय का पता:	-	1864 राइट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष	-	0761- 2412064
ई-मेल	-	nathulalpandey@gmail.com

(3) उद्देश्य

इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे : -

1. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कोयला उद्योग में काम करने वाले नियमित एवं ठेकेदारी श्रमिकों को संगठित व एक सूत्र में करना एवं सेवायोजको के साथ उनके आपसी संबंध नियमानुकूल रहें ऐसी व्यवस्था करना।
2. संस्था के सदस्यों के लिये नौकरी तथा जीवन की स्थिति सुधारना।
3. उनकी कठिनाइयों का निवारण करने का प्रयास करना।
4. पारिश्रमिक की कमी को रोकना और संभवतः अग्रिम रूप में दिलाने की समयानुसार व्यवस्था करना।
5. सेवायोजको के बीच उत्पन्न विवादों के काल के काम के अवरोध को टालना और सौहार्द से आपसी हाल निकालने का प्रयत्न करना।
6. दुर्घटना के समय सदस्यों के लिये क्षतिपूर्ति (विभाग के अधीन क्षतिपूर्ति) प्राप्त करना।
7. नौकरी या संबंधित प्रकरण के सदस्यों को वैधानिक सहायता देना।
8. तालाबंदी या हड़ताल, जो संस्था की स्वीकृति द्वारा की गई हो के समय सदस्यों को सहायता दिलाने का प्रयत्न करना।
9. उन श्रम संगठनों से जिनके उद्देश्य संस्था के सदृश्य हो, के साथ सहकार्य करना तथा उनसे संबंध रखना।
10. प्रांतीय व्यावसायिक संघ विधान में निहित नीति के अनुसार श्रमिक वर्ग को सहायता करना।

जन सूचना अधिकारी ... अधिनियम 2005 ... पंजीयक कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त जानकारी

(शनुक ... खांमडे)
पंजीयक
व्यवसायिक संघ, छत्तीसगढ़

General Secretary
Koyala Mazdoor Sabha

15

11. साधारणतः सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक पारस्परिक तथा राजनैतिक जीवन सुधार करने का प्रयत्न करना।

12. औद्योगिक विवादों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करना।

13. प्रौढ़ शिक्षा, श्रमिकों के विकलांग बच्चों अथवा कोयला उद्योग के आसपास के गाँव में विकलांग बच्चों के लिये शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित करने का प्रयास अथवा ऐसी संचालित संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रयास करना।

14. खदानों में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों, सेवामुक्त श्रमिकों एवं श्रमिकों के बेरोजगार आश्रितों के लिये कोयला उद्योग पर आधारित अथवा उसके लिये आवश्यक सहायक उद्योग की स्थापना, श्रमिकों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार प्रदान करना।

15. स्वउद्योग को उत्प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षण केंद्र खोलना।

(4) सामान्य निधि का उपयोग: -

भारतीय व्यावसायिक संघ, विधान संघ 1926 की धारा 15 के अनुसार सामान्य निधि का उपयोग निम्नांकित मदों पर किया जा सकता है: -

क. संस्था के पदाधिकारियों के वेतन भत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य खर्च हेतु।

ख. संस्था संचालन का व्यय, जिसमें संस्था के हिसाब की जाँच भी सम्मिलित है।

ग. ट्रेड यूनियन के नाते संस्था के अधिकार प्राप्त करने या सुरक्षित रखने हेतु अथवा संस्था के किसी सदस्य के अपने सेवा योजक के साथ जो संघर्ष हो उनसे निर्माण होने वाले अधिकार प्राप्त रखने या सुरक्षित रखने के हेतु किसी ऐसी वैधानिक कार्यवाही को चलाना या उसमें बचाव करना।

घ. संस्था या उसके किसी सदस्य की ओर से किसी औद्योगिक विवाद को चलाना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त जानकारी

ङ. सदस्यों की औद्योगिक विवादों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति।

घ. सदस्यों एवं पदाधिकारियों या उनके आश्रितों की मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना और बेकारी की अवस्था में सहायता।

छ. सदस्यों एवं पदाधिकारियों के जीवन बीमे या बीमारी या बीमारी के बीमे उतारने या ऐसे बीमे के अधीन उन्हें चलाना।

ज. ट्रेड यूनियन के दायित्वों को उठाना, सामान्य निधि का उपयोग जिन उद्देश्यों के लिये निहित हैं, उनकी पूर्ति हेतु सर्व साधारण श्रमिक को कल्याणप्रद किसी कार्य में अनुदान देना, परंतु किसी भी आर्थिक वर्ष में किसी भी समय इस मद का व्यय उस समय तक उस वर्ष में प्राप्त सामान्य निधि के खाते में जमा कुल रकम के एक चौथाई से अधिक नहीं होगा।

(शनुक लाल जांगड़े)
पंजीयक
व्यवसायिक संघ, छत्तीसगढ़

General Secretary
Koyala Mazdoor Sabha

झ. सदस्यों एवं पदाधिकारियों या उनके आश्रितों के लिये शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक लाभों की व्यवस्था, जिसमें मृत सदस्यों के लिये मृतक्रिया या धार्मिक क्रिया के खर्च का समावेश होगा।

ट. मुख्यतः सेवा योजकों तथा सेवा मुक्त के अपने प्रश्नों की चर्चा हेतु प्रकाशित पूर्ण कालिक पत्र चालू रखना।

ठ. शासन द्वारा राज पत्र में विज्ञप्ति किसी अन्य दृष्टि के हेतु विज्ञप्ति में अंतमूल प्रतिबंधों के अनुसार यदि कोई हो।

ड. बैंक में जमा राशि में से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ाने हेतु किसी वित्तीय संस्था अथवा अन्य कहीं बैंक से प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ से अधिक लाभ सुनिश्चित हो तो निवेश करना।

(5) सदस्यता पुस्तिका :-

संस्था में एक सदस्य की पुस्तिका रखी जाएगी, जिसमें सदस्यों के नाम, पिता का नाम सहित आयु, निवास स्थान, काम करने का स्थान (पाली खाता व विभाग) जमा चंदा की रसीद क्रमांक का उल्लेख होगा।

(6) उपर्युक्त पुस्तिका, संस्था के प्रधान कार्यालय में छुट्टी को छोड़कर संघ के कार्यकाल में किसी भी अधिकारी या सदस्य के निरीक्षण हेतु रखी जाएगी।

(7) साधारण सदस्यता :-

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कोयला उद्योग व्यवस्था में कार्य करने वाला ऐसा कोई भी नियमित या ठेकेदारी श्रमिक जिसे संस्था का विधान तथा नियम व उप नियम मान्य है सदस्यता शुल्क देकर संघ का सदस्य बनने की पात्रता रखे सकता है।

(8) जो व्यक्ति साधारण सदस्य बनने की पात्रता नहीं रखता हो, उसे संस्था में सम्माननीय सदस्य की स्थिति में प्रवेश दिया जा सकता है और सह सम्माननीय सदस्यता के कार्यकाल में प्रबंधकारिणी समिति में भी चुना या लिया जा सकता है। किंतु ऐसे सदस्यों की संख्या भारतीय व्यावसायिक अधिनियम की धारा 22 के अनुसार होगी।

(9) अ. सदस्यता शुल्क 1000 रुपये प्रतिवर्ष होगी जो वर्ष 2024 के लिये प्रभावशील होगी। इसके बाद वर्ष 2025 को 1100 रुपये प्रति वर्ष और वर्ष 2026 से 1200 रुपये प्रति वर्ष होगी। सदस्यता शुल्क वसूली नगद अथवा वेतन से श्रमिक द्वारा अधिकृत किए जाने पर प्रबंधकों द्वारा कटौती कर वसूली जाएगी। विशेष परिस्थिति में कोई श्रमिक 3 माह

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त जानकारी

पंजीयक

General Secretary
Koyala Mazdoor Sabha

की सदस्यता शुल्क जमा कर उस अवधि हेतु सदस्य बन सकता है। ठेकेदारी मजदूरों की सदस्यता शुल्क रुपये 250/- वार्षिक होगी।

(ब) सदस्यता शुल्क मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक या वार्षिक रूप से लिया जायेगा।

(10) सदस्यों की नियमों में सुझाये गये लाभ प्राप्त करने का अधिकार :-

अ. कोई भी सदस्य संस्था द्वारा सदस्यों को दिये गये लाभ को पाने का अधिकारी कम से कम पाँच मास तक या संस्था को सदस्य रहने और पूर्ण चंदा चुकाने पर हो सकेगा। समय की सीमा का प्रतिबंध हटाया भी जा सकता है।

ब. वह सदस्य जिस संस्था का चंदा बकाया अथवा किसी प्रकार का लेना शेष है, जब तक कि उसका भुगतान पूरा नहीं कर देता, और दो मास की अवधि नहीं बीत जाती, संस्था द्वारा संचालित किसी भी लाभ को पाने की भागी नहीं हो सकता।

स. संस्था के सदस्य प्रबंधकारिणी समिति का अनुमोदन एवं स्वीकृति लिये बिना किसी हड़ताल पर जायेंगे तो वे संस्था द्वारा संचालित किसी भी लाभ को पाने के भागी नहीं होंगे।

ड. विशेष परिस्थिति में महामंत्री द्वारा प्रस्ताव किए जाने अथवा कार्यकारिणी के समिति के अनुमोदन से नए सदस्य भी पदाधिकारी बनने एवं संस्था से अन्य लाभ पाने की पात्रता रख सकते हैं।

(11) अर्थ दण्ड एवं उसकी वसूली :-

किसी भी सदस्य द्वारा संस्था की सदस्यता शुल्क न देने की स्थिति में प्रबंधकारिणी समिति की अनुमति से पाँच मास एवं उसके अभाव में तीन मास में सदस्यता समाप्त की जाएगी, किंतु यह शेष चंदा देने पर उसकी सदस्यता निरंतर जारी की जा सकेगी।

(12) संस्था के पूर्ण सदस्यों की वार्षिक साधारण सभा जनवरी अथवा फरवरी मास में बुलाई जायेगी, जिसमें निम्न लिखित कार्यवाही होगी :-

अ. संस्था द्वारा किये गये कार्यों का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तथा जाँच किये हिसाब को मान्य करना।

ब. आगामी तीन वर्षों के लिये पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारणी के सदस्यों को चुनना।

स. अन्य प्रस्ताव जो सभापति के अनुमोदन से हो, सभा में प्रस्तुत करना।

(13) अध्यक्ष संस्था की साधारण सभा के 20 प्रतिशत सदस्यों के लिखित माँग करने पर प्रार्थना पत्र से 20 दिन की अवधि में साधारण सभा की बैठक बुला सकेगा।

(14) सदस्यों को साधारण सभा की सूचना कम से कम पंद्रह दिन पूर्व देनी होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त जानकारी

(रानुक लाल जांगड़े)
पंजीयक

General Secretary
Koyala Mazdoor Sabha

(18)

(15) साधारण सभा के लिये सम्पूर्ण सदस्य संख्या के तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक (कोरम) मानी जायेगी। आवश्यक उपस्थिति के अभाव में स्थगित सभा को बुलाने हेतु दूसरी बैठक में उपस्थिति का आवश्यक प्रतिबंध नहीं रहेगा।

(16) संस्था के अधिकारीगण व उसकी नियुक्ति : -

अ. संस्था की प्रबंधकारिणी में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे : -

1.	अध्यक्ष	-	एक
2.	कार्यवाहक अध्यक्ष	-	दो
3.	संरक्षक	-	अधिक से अधिक तीन
4.	उपाध्यक्ष	-	अधिक से अधिक दस
5.	महामंत्री	-	एक
6.	उप महामंत्री	-	दो
7.	मंत्री	-	अधिक से अधिक दस
8.	कोषाध्यक्ष	-	एक
9.	संगठन मंत्री	-	आठ
10.	कार्यालय सचिव	-	पाँच
11.	प्रतिनिधि	-	दस से तेरह तक

12. उपरोक्त पदाधिकारियों के अलावा अधिक से अधिक 55 कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

उपरोक्त प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव त्रिवार्षिक रूप से संस्था की साधारण सभा में किया जायेगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं मंत्री (कुल चार पदों पर) संस्था के बाहर हो सकते हैं।

प्रतिनिधि - संस्था प्रबंधकारिणी के चयन के लिये 200 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि, क्षेत्रीय समिति के लिये 100 सदस्यों पर तथा शाखा समितियों को 50 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुना जायेगा। 200, 100, 50 से कम होने पर क्रमशः केंद्रीय, क्षेत्रीय, शाखा के लिये एक प्रतिनिधि अवश्य दिया जायेगा। संस्था के त्रैवार्षिक सम्मेलन में प्रतिनिधियों के द्वारा पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होगा। क्षेत्रीय समिति का चुनाव, क्षेत्रीय सम्मेलन में तथा शाखा समितियों का चुनाव शाखा सम्मेलन में किया जायेगा। क्षेत्रीय व शाखा समितियों का चुनाव द्विवार्षिक रूप से किया जायेगा।

ब. संस्था की शाखा समितियों में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे : -

1.	अध्यक्ष	-	एक
2.	कार्यवाहक अध्यक्ष	-	एक
3.	उपाध्यक्ष	-	चार
4.	सचिव	-	एक

(शनुक लाल जांगड़े)
पंजीयक
... व्यावसायिक संघ, छत्तीसगढ़

General Secretary

5.	सह सचिव	-	चार
6.	कोषाध्यक्ष	-	एक
7.	संगठन सचिव	-	चार
8.	कार्यालय सचिव	-	दो
9.	कार्यकारिणी सदस्य	-	कम से कम 11, अधिक से अधिक 21

स. संस्था के क्षेत्रीय समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे :-

1.	अध्यक्ष	-	एक
2.	कार्यवाहक अध्यक्ष	-	एक
3.	उपाध्यक्ष	-	अधिक से अधिक पाँच
4.	महामंत्री	-	एक
5.	उप महामंत्री	-	दो
6.	सचिव	-	दो अथवा अधिक से अधिक पाँच
7.	कोषाध्यक्ष	-	एक
8.	संगठन सचिव	-	दो अथवा अधिक से अधिक पाँच
9.	कार्यकारिणी सदस्य	-	कम से कम 21, अधिक से अधिक 29 होंगे।

(17) प्रबंधकारिणी :-

भारतीय व्यावसायिक संघ सन 1926 की धारा 21 को सम्मुख रखते हुये संस्था का आर्थिक तथा सम्पूर्ण अन्य कार्यभार प्रबंधकारिणी समिति द्वारा चलाया जायेगा। जिसमें साधारण वार्षिक सभा में चुने हुए सदस्य एवं अधिकारी गण होंगे। प्रबंधकारिणी के कुल सदस्यों की संख्या 108 होगी।

(18) प्रबंधकारिणी समिति की सभाएँ :- प्रबंधकारिणी समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार किसी भी निश्चित दिन और स्थान पर जो कि महामंत्री या अध्यक्ष द्वारा तय होगा बैठक रहेगी।

(19) प्रबंधकारिणी समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति कथित बैठक के लिये आवश्यक (कोरम) मानी जाएगी। स्थगित की गई बैठक के लिये आवश्यक उपस्थिति (कोरम) की प्रतिबंध नहीं होगा।

(20) (अ) प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व देना आवश्यक है।

(ब) आपात कालीन बैठक के लिये पूर्व सूचना की कोई समय सीमा नहीं होगी। दूरभाष एवं किसी अन्य सूचना के आधार पर बैठक बुलाई जा सकती है।

(21) पदाधिकारियों के कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

(शत्रुघ्न व्यास खोपड़े)
पंजीयक

General Secretary

(20)

अध्यक्ष संस्था की तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त सभाओं का सभापतित्व करना होगा। सभाओं में व्यवस्था बनाये रखना, सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही लेखा (मिनिट्स) पर हस्ताक्षर करना और समान मत प्रदर्शन होने पर ही अपना मत देना अध्यक्ष का कर्तव्य है। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह संस्था की साधारण सभा बुलाये जो संविधान की धारा 13 के अनुरूप होगी। वह किसी भी समय कार्यालय का निरीक्षण कर सकेंगे। अध्यक्ष रु-1000/- तक के खर्चों की स्वीकृति बिना कार्यकारिणी की स्वीकृति के दे सकता है।

(22) उपाध्यक्ष :-

उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कामों को पूरा करने में सहायता करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की हैसियत से कार्य करेगा।

(23) महामंत्री :-

अ. महामंत्री संस्था तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त सभाओं की कार्यवाही का लेखा (मिनिट्स) लिखेगा, सम्पूर्ण पत्र व्यवहार करेगा, सभाओं को नियंत्रण करेगा, सम्पूर्ण हिसाब रखेगा, सदस्यों को साधारण सभा की सूचना एजेण्डा सहित व्यक्तिगत हस्ताक्षर प्राप्त कर या नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर देगा। संस्था के कारोबार को पूर्णतः देख-रेख पर आय व्यय की रसीदों सहित सही जाँच रखेगा। यह वार्षिक आय-व्यय का लेखा बनायेगा, जिसमें आय-व्यय का प्रत्येक अंक सही दशा में दिया गया है। यह भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम सन 1926 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को भेजे जाने वाले वार्षिक आय-व्यय पत्रक तथा अन्य सूचनाएं आदि भेजने के लिये समय-समय पर उत्तरदायी होगा। यदि इस कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो तो महामंत्री को यह अधिकार होगा कि वह प्रबंधकारिणी समिति के अनुमोदन से कोई भी सहायक लिपिक / क्लर्क लेखन संबंधी कार्य हेतु नियुक्त कर ले। ऐसे सम्पूर्ण सहायक महामंत्री के नियंत्रण में कार्य सम्पादन करेंगे। महामंत्री संस्था को चलाने के लिये समिति, उप समिति तदर्थ समिति आदि का गठन कर सकते है। धारा 4 में विहित प्रावधानों को कार्य रूप देना पूर्णतया महामंत्री के अधिकार क्षेत्र में होगा। इसके व्यवथापन हेतु महामंत्री आवश्यक समझे तो कार्यकारिणी से राय ले सकते हैं।

ब. महामंत्री किसी भी क्षेत्रीय शाखा समिति का निरीक्षण कर सकता है, यदि क्षेत्रीय एवं शाखा समितियाँ ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसे भंग कर सकता है तथा उसके स्थान पर तदर्थ बना सकता है। सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक होगा कि क्षेत्रीय / शाखा समिति को भंग करने के पूर्व विधिवत कारण बताओ सूचना की जाये। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी क्षेत्रीय समिति, शाखा समिति या किसी भी पदाधिकारी का

(शनुक लाल जांगड़े)
पंजीयक

कार्य संस्था विरोधी एवं जनहित के विपरीत हो तो महामंत्री उसे निष्कासित कर सकता है तथा उसकी जगह किसी अन्य को तदर्थ रूप में नियुक्त कर सकता है। महामंत्री को विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के क्षेत्रीय समिति, शाखा समिति को भंग कर सकता है। लेकिन इसके लिये आवश्यक होगा कि 15 दिनों के अंदर कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर उसमें सूचना देगा।

स. महामंत्री ज़रूरत के अनुसार सभा की समस्त बैठकों को आहूत करेगा। (असाधारण तथा संकट कालीन अथवा विशेष बैठक या सभा सम्मेलन की समस्त बैठक)

(24) मंत्री गण :-

अन्य मंत्री महामंत्री को सामान्य रूप से उसके कार्य में सहायता देंगे अथवा महामंत्री द्वारा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करेंगे एवं महामंत्री की अनुपस्थिति में उसमें से एक महामंत्री द्वारा अधिकृत किये जो महामंत्री के दायित्व का निर्वाहन करेगा।

(25) संगठन मंत्री :-

महामंत्री को संगठनात्मक कार्यों में मदद करना अथवा महामंत्री द्वारा सौंपे गये संगठनात्मक दायित्वों का निर्वाहन करेंगे।

कार्यालय सचिव :-

महामंत्री द्वारा सौंपे गये कार्यों के आधार पर कार्यालयीन व्यवस्था करेंगे।

(26) कोषाध्यक्ष :-

कोषाध्यक्ष संस्था में समय - समय पर प्राप्त होने वाले धन को बैंक या अन्य कहीं सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता के समय संस्था को देने का उत्तरदायी होगा। वह प्रबंधकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किये गये सम्पूर्ण व्यय का भुगतान करेगा। अध्यक्ष अथवा महामंत्री के हस्ताक्षर लिये बिना, कोषाध्यक्ष को बैंक से पैसा निकालने का अधिकार नहीं होगा। किंतु विशेष परिस्थितियों में प्रबंधकारिणी के निर्णयानुसार वह बैंक से पैसा निकाल सकता है।

(27) रिक्त स्थानों की पूर्ति, पदच्युति तथा सदस्यता समाप्ति :-

अ. समस्त त्याग पत्र महामंत्री को सौंपे जायेंगे। महामंत्री, मंत्री, संगठन सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव के त्याग पत्र स्वयं या अध्यक्ष की सलाह से स्वीकार कर सकते हैं या पुनः विचार के लिये वापस कर सकता है। यदि प्रबंधकारिणी के कार्यकर्ता अथवा संस्था के पदाधिकारी का कोई पद त्याग पत्र, तबादला या मृत्यु आदि के कारण रिक्त हो, तो वह प्रबंधकारिणी समिति द्वारा मनोनयन करके सहयोजन द्वारा भरा जायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त जानकारी

(शनुक लाल आंगड़े)
पंजीयक

General Secretary
Koyala Mazdoor Sabha

ब. संस्था का कोई भी साधारण सदस्य कार्यकर्ता अधिकारी या प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य को धोखा देने या उसके हित के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में महामंत्री अथवा प्रबंधकारिणी सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से निकाला जा सकता हैं। किंतु प्रतिबंध यह है कि ऐसे अधिकारी या सदस्य को उसके विषय में स्पष्ट कारण देने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये।

स. यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता नियमानुसार जमा नहीं करता तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त मानी जायेगी।

ड. यदि कोई पदाधिकारी स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है तो महामंत्री को अधिकार होगा कि उसे स्वीकार करें अथवा पुनर्विचार हेतु इसे उसके पास पुनः भेज दे या उस पर चर्चा करने हेतु पदाधिकारियों या पूर्ण कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत कर तदनुसार निर्णय ले सकते है।

(28) राजनैतिक निधि : -

अ. संस्था का एक विशेष निधि इस हेतु होगी, जिसे राजनैतिक निधि के नाम से जाना जायेगा। औद्योगिक संघ अधिनियम सन 1926 की धारा 16 के तहत राजनैतिक फण्ड स्वेच्छा से इकट्ठा किया जायेगा।

ब. किसी सदस्य पर राजनैतिक निधि के लिये दबाव नहीं डाला जा सकेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त जानकारी

(29) संस्था की समस्त वार्षिक सदस्यता शुल्क सदस्यों के वेतन से काटकर मुख्यालय को भेजी जायेगी एवं मुख्यालय 50 प्रतिशत राशि अपने पास रखेगी। 15 प्रतिशत क्षेत्रीय समिति को एवं 35 प्रतिशत शाखा समिति को वापस करेगी। विशेष परिस्थितियों में महामंत्री को अधिकार होगा कि इस अनुपात में वह परिवर्तन कर सकता है।

(30) विधान परिवर्तन : -

विधान में कोई भी संशोधन परिवर्तन घट-बढ़ किसी भी समय साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जा सकता हैं। जबकि किये जाने वाले परिवर्तन की सूचना सदस्यों को कम से कम सात दिन पूर्व दी गई हो, भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत श्रीमान रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन महोदय द्वारा समय-समय पर विधान में संशोधन या परिवर्तन सुझाये जायेंगे, उसके अनुसार विभाग में परिवर्तन अविलम्ब किया जायेगा।

(31) कोष सुरक्षित रखने की व्यवस्था : -

सदस्यों से प्राप्त चंदा, दान आदि से प्राप्त कुल निधि संस्था की सामान्य निधि में समावेश होगा। प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन बैंक या बैंकों में संस्था के नाम धन राशि

(शत्रुघ्न लाल जांगड़)
पंजीयक
व्यवसायिक संघ, छत्तीसगढ़

General Secretary

जमा कर दी जायेगी, जिसका संचालन कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, महामंत्री एवं अन्य कोई से कोई भी व्यक्ति करेंगे, जिसमें महामंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। सामान्यतः महामंत्री अथवा कोषाध्यक्ष अपने हाथ खर्च के लिये रु- 5000/- से अधिक निधि नहीं रख सकते। क्षेत्रीय समिति रु- 1000/- एवं शाखा समिति रु- 500/- से अधिक निधि अपने हाथ खर्च के लिये नहीं रख सकते।

(32) वार्षिक हिसाब परीक्षण :-

संस्था हिसाब का वार्षिक परीक्षण योग्य आडिटरों द्वारा कराने के लिये जिन्हें प्रबंधकारिणी समिति ने भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम के अधीन बने मध्य प्रदेश यूनियन रेग्युलेशन सन 1961 के रेग्युलेशन क्रमांक 18 के अनुसार हो, व्यवस्था करेगा। हिसाब के लिये संस्था का आर्थिक वर्ष एक जनवरी से 31 दिसम्बर तक रहेगा व भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम सन 1926 की धारा 28 के अंतर्गत वार्षिक विवरण फार्म में आय व्यय परीक्षकों के हस्ताक्षरयुक्त पंजीयक व्यावसायिक संघ की ओर निर्दिष्ट 31 मार्च के पूर्व भेजा जायेगा।

(33) संस्था के हिसाब पुस्तकें कोई भी सदस्य अथवा पदाधिकारी निरीक्षण हेतु प्रधान कार्यालय में छुट्टियों के दिन छोड़कर कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

(34) (अ) किसी भी प्रकार खरीददारी चाहे वह शाखाओं अथवा मुख्यालय द्वारा की जायेगी, वह कोयला मजदूर सभा के नाम की जायेगी। वह सम्पत्ति कोयला मजदूर सभा की होगी।

(ब) यदि कोई शाखा सभा की सम्पत्ति का रख-रखाव ठीक से नहीं करती या उसका दुरुपयोग करती है तो संघ को अधिकार होगा कि वह उस सम्पत्ति की ठीक से व्यवस्था करें, इसके लिये यदि सभा को यह विश्वास हो जाये कि सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो मुख्यालय उस सम्पत्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है या उसे अपने अधिकार में ले सकता है। इसी प्रकार बैंक के खातों के संचालन पर महामंत्री द्वारा रोक लगाई जा सकती है।

स. क्षेत्रीय अथवा शाखा समितियों में किसी प्रकार का विवाद होता है तो मुख्यालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

द. शाखा समितियाँ 50 प्रतिशत राशि से अधिक खर्च नहीं कर सकती, उससे अधिक खर्च करने के लिये उन्हें मुख्यालय से स्वीकृति लेनी होगी।

य. शाखाओं / क्षेत्रीय समितियों की समस्त राशि बैंक में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अथवा किसी एक अन्य पदाधिकारी के नाम संयुक्त रूप से रखी जायेगी।

र. शाखाओं की सदस्यता आय-व्यय के हिसाब एवं मुख्यालय की लंबित राशि आदि पटाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी शाखा सचिव की होगी।

(शनुक लाल खांगड़े)
पंजीयक

(24)

ल. शाखा सचिव 15 जनवरी तक पिछले वर्ष का समस्त आय-व्यय का हिसाब एवं सदस्यता रजिस्टर तथा रसीद कटे मुख्यालय को भेज देगा। अन्यथा मुख्यालय संबंधित शाखा को 15 दिन का समय देकर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। उत्तर संतोषप्रद न होने पर शाखा भंग की जा सकती है।

व. मुख्यालय शाखाओं के आय-व्यय के निरीक्षण हेतु आंतरिक जॉचकर्ता की व्यवस्था करेगा।

श. कोयला मजदूर सभा के नाम कोई भी चल अचल संपत्ति की खरीदी हेतु महामंत्री को अधिकार होगा कि साधारण परिषद की अनुमति से एक निश्चित राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से लोन ले सकते हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि ऋण राशि के किश्त के वजह से सामान्य कार्य हेतु निधि बाधित न हो।

(35) संस्था का विघटन :-

उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से इस हेतु बुलाई गई साधारण सभा द्वारा किया जा सकता है। जबकि ऐसी सभा में कुल मतदान उस समय संस्था में प्रविष्ट सम्पूर्ण सदस्य संस्था के दो तिहाई से कम न हो सम्पूर्ण दायित्व का चुकारा करने के पश्चात शेष निधि का निराकरण सभा विघटन के निर्णयानुसार किया जायेगा।

(36) संघ को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जब तक अन्य संसाधन उनको हल करने के लिये उपलब्ध हो और ये पूर्णतया असफल न हो गये हो तब तक संघ हड़ताल की अनुमति नहीं देगा, अथवा हड़ताल हेतु मतदान न लिया गया हो और अधिकांश सदस्यों ने हड़ताल के पक्ष में मत न दिया हो। विशेष परिस्थिति में महामंत्री की अनुमति से हड़ताल पर जाने की सूचना देने एवं हड़ताल की अनुमति देने का अधिकार होगा।

भवदीय

संशोधित विधान अनुमोदित
दिनांक 22/09/2023

(नाथुलाल पाण्डेय)
General Secretary
महामंत्री
Koyala Mazdoor Sabha
कोयला मजदूर सभा (एच.एम.एस)
मुख्यालय – साऊथ झगरखण्ड कालरी,
जिला- मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

(शनुक लाल जांगड़े)
पंजीयक
व्यवसायिक संघ, छत्तीसगढ़